30-10-2024 वकील उभयपक्ष हाजिर/एस.डी.एम. सा. दौरे पर/दीगर कार्य/अवकाश पर है। पत्रावली वास्ते ~~बहस~~ दिनांक 7-1-25 को पेश हो।

आज्ञा से रीडर

7-1-2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित पक्षकार पेश नहीं। प्रकरण बन्द किये जाने बहस सुनी गई। संक्षिप्त मे विवरण इस प्रकार है कि मौजा बालरिया खेडा पटवार हल्का हेरी तहसील कपासन के खाता संख्या 150 मे स्थित आराजियात वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के संयुक्त खातेदारी की आराजियात है। जिस विवादित प्रकरण के अन्तर्गत आराजियात खुर्द-बुर्द करने का आशंका है। अत: अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। हमने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन। उक्त खाते मे वादी खातेदारों के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जाकर उपयोग उपभोग से वंचित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा सन्तुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष मे नहीं बनता है। अत: प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल कायम होकर दफ्तर मे जमा हो। आदेश सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौडगढ